पात्र ऋणदात्री संस्था (ईएलआई)

Eligible Lending Institutions (ELIs)

उत्पादक संगठन (पीओ), प्राथिमक कृषि ऋण सिमित (पैक्स)/ प्राथिमक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) को बहु सेवा केन्द्र (एमएससी) के रूप में ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पात्र ऋणदात्री संस्थानों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफ़सी, नाबार्ड की सहायक संस्थाएं और नाबार्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाएं शामिल होंगी. क्षेग्रा बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, और नाबार्ड की सहायक संस्थाओं को प्राथिमकता दी जाएगी.

The eligible lending institutions for the purpose of extending credit support to POs, PACS/PCARDBs as MSC would include commercial banks, regional rural banks, cooperative banks, small finance banks, NBFCs, subsidiaries of NABARD and such other institutions approved by NABARD. Preference will be given to RRBs, Cooperative Banks, Small Finance Banks and Subsidiaries of NABARD.